मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XXI अंक 8 नवंबर 2025

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड		पृष्ठ
I.	विनियमन	1-2
II.	विदेशी मुद्रा	2
III.	मुद्रा जारीकर्ता	3
IV.	प्रकाशन	3
V.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

इस महीने में प्रमुख विनियामकीय उपलब्धियां देखी गई हैं, जिसमें 244 समेकित मास्टर निदेशों का जारी होना शामिल है, जिसके द्वारा 9,000 से अधिक परिपत्रों को विनियमित संस्थाओं के लिए एक एकीकृत, सुलभ ढांचे में सुव्यवस्थित किया गया है। पीएसओ के लिए एसआरपीए को एसआरओ के रूप में मान्यता और सीमा परीय विप्रेषण को बढ़ाने के लिए यूपीआई-टीआईपीएस लिंकेज प्रयासों की प्रगति के साथ भुगतान पारितंत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त, डिजिटल बैंकिंग में नवाचार का समर्थन करते हुए निरीक्षण को मजबूत करने के लिए डिजिटल बैंकिंग चैनलों के प्राधिकरण पर अंतिम मास्टर निदेश, 2025, जारी किए गए थे। ये पहलें सामूहिक रूप से वित्तीय प्रणाली में स्पष्टता, दक्षता और आधुनिकीकरण के प्रति रिजर्व बैंक की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती हैं।

हम सही जानकारी साझा करने और गहरी समझ बढ़ाने के अपने लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर या क्यूआर कोड स्कैन करके भी देखा जा सकता है। हम mcir@rbi.org.in पर आपकी प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं।

ब्रिज राज
संपादक

I. विनियमन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समेकित मास्टर निदेश जारी किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2025 को 244 समेकित मास्टर निदेश जारी किए, जिन्हें विनियमन विभाग द्वारा नियंत्रित 9,000 से अधिक मौजूदा परिपत्र और दिशानिर्देशों के स्थान पर जारी किया गया है। यह उल्लेखनीय प्रयास में "जैसा है" आधार पर विनियामक अनुदेशों को समेकित किया गया है ताकि ढांचे को सुव्यवस्थित किया जा सके, पहुँच बढ़ाई जा सके और विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन भार को कम किया जा सके। यह अभ्यास मौजूदा अनुदेशों की अखंडता को संरक्षित करते हुए विनियामक संचार को सरल बनाने की दिशा में एक कार्यनीतिक बदलाव है।

समेकित मास्टर निदेशों को वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित विनियमित संस्थाओं की 11 श्रेणियों में कार्य-वार तैयार किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों से संबंधित अनुदेशों को नाबार्ड के परामर्श से समेकित किया गया तथा क्षेत्र विशेष विनियामक अपेक्षाओं के साथ निर्बाध संरेखण सुनिश्चित किया गया।

इन मास्टर निदेशों को जारी करने के परिणामस्वरूप 9,445 परिपत्रों को तत्काल वापस लिया गया, जो या तो नए ढांचे में पूर्ण रूप से एकीकृत कर दिए गए हैं या अप्रचलित हो चुके हैं। चल रहे कार्यों के लिए बनाए रखे गए परिपत्र- जैसे लंबित जांच अथवा अंतरणीय अनुपालन से संबंधित परिपत्र- उनके विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा किए जाने तक वैध रहेंगे, जोकि विनियामक निरंतरता सुनिश्चित करेंगे।

मास्टर निदेश अब विनियमन विभाग के लिए विशिष्ट विनियामक संदर्भ के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिन्हें आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचनाएं → मास्टर निदेश → विनियमन विभाग के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं। यह समेकन ओवरलैप या अप्रचलित अनुदेशों से उत्पन्न होने वाली अस्पष्टताओं को दूर करता है तथा विनियमित संस्थाओं पर लागू होने वाले विनियमों के एकीकृत, अद्यतन रिपॉजिटरी उपलब्ध करवाता है।

इन समेकित मास्टर निदेशों के जारी होने के बाद निरस्त / वापस लिए गए परिपत्रों को पारदर्शिता के लिए अधिसूचनाएं → वापस लिए गए परिपत्र → विनियमन विभाग द्वारा वापस लिए गए परिपत्र के माध्यम से देखा जा सकता है, जिसे हितधारक ऐतिहासिक संदर्भ के लिए देखे सकते हैं। यह पहल रिज़र्व बैंक की मजबूत विनियामकीय निगरानी बनाए रखते हुए कारोबार में आसानी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसमें सार्वजनिक परामर्श चरण के दौरान हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को अंतिम दस्तावेज तैयार करते समय शामिल किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए स्व-विनियामक संगठन को मान्यता प्रदान करना

रिज़र्व बैंक ने 22 अक्तूबर 2020 को जारी भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए स्व-विनियामक संगठन की मान्यता के लिए ढांचा और उसके बाद दिनांक 21 मार्च 2024 को जारी रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं की स्व-विनियामक संगठनों को मान्यता देने हेतु बहुप्रयोजन ढांचा के अंतर्गत, स्व-विनियामक पीएसओ संघ (एसआरपीए) से प्राप्त आवेदन को निर्धारित मानदंडों और शासकीय मानकों के अनुपालन के पूर्ण मूल्यांकन के बाद, 11 नवंबर 2025 को उक्त एसआरपीए को भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) के लिए एक स्व-विनियमित संगठन (एसआरपीए) के रूप में मान्यता प्रदान की। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

यूरोसिस्टम के टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट (टीआईपीएस) के साथ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को जोड़ना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 नवंबर 2025 को घोषणा की कि वह सीमापारीय भुगतान की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (यूपीआई) को अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकारों की तेज़ भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ने पर सक्रिय रूप से ज़ोर दे रहा है। ये पहलें सीमापारीय भुगतान को बढ़ाने के लिए जी20 रोडमैप के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसमें अधिक सस्ते, कुशल, पारदर्शी और आसान विप्रेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के सहकार्यता से यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर यूपीआई को टीएआरजीईटी इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट (टीआईपीएस) से जोड़ने की पहल कर रहा है। दोनों पक्ष यूपीआई-टीआईपीएस लिंक के लिए प्राप्ति चरण (रियलाइज़ेशन फ़ेज़) शुरू करने पर सहमत हो गए हैं, जिसे भारत और यूरो क्षेत्र के बीच सीमापारीय विप्रेषण को आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक और एनआईपीएल, तकनीकी एकीकरण, जोखिम प्रबंधन ढांचा और इस लिंकेज को परिचालित करने के लिए निपटान व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल का अधिक्रमण – अवधि बढ़ाना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 36 एएए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के निदेशक मंडल के अधिक्रमण को 24 नवंबर 2025 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। यह अधिक्रमण बैंक के भीतर देखे गए खराब अभिशासन मानकों से उत्पन्न महत्वपूर्ण चिंताओं के कारण 24 नवंबर 2023 को एक वर्ष के लिए किया गया था, जिसे 24 नवंबर 2024 से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। श्री सत्य प्रकाश पाठक बैंक के प्रशासक के रूप में बने रहेंगे और उन्हें श्री वेंकटेश हेगड़े, श्री देवेंद्र कुमार और श्री सुहास गोखले की सलाहकार समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया

श्री टी.ए. मोहम्मद सगीर द्वारा व्यक्तिगत कारणों से सलाहकार समिति (सीओए) से हटने के बाद रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर 2025 को इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रशासक के लिए सलाहकार समिति (सीओए) के तत्काल पुनर्गठन की घोषणा की। संशोधित सीओए में (i) श्री मोहनन के, पूर्व उप महाप्रबंधक, साउथ इंडियन बैंक और (ii) श्री मोहन टी एम, पूर्व महाप्रबंधक, साउथ इंडियन बैंक शामिल होंगे, जबकि श्री राजू एस. नायर बिना किसी बदलाव के प्रशासक के रूप में बने रहेंगे। यह कार्रवाई 30 जुलाई 2025 को बैंक पर सर्वसमावेशी निदेश लागू करने और 07 अक्टूबर 2025 को इसके बोर्ड के अधिक्रमण के बाद की गई है। रिज़र्व बैंक गतिविधियों की बारीकी से निगरानी कर रहा है और बैंक के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

आरबीआई ने भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण) निदेश, 2025 जारी किए

रिज़र्व बैंक ने 21 जुलाई 2025 को जारी किए गए मसौदे, जिस पर हितधारकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई थी, के बाद 28 नवंबर 2025 को डिजिटल बैंकिंग चैनल प्राधिकरण, 2025 पर अंतिम मास्टर निदेश जारी किया। ये समेकित निदेश डिजिटल बैंकिंग सेवाओं से संबंधित महत्वपूर्ण विकास, जिसमें नए और अभिनव चैनल शामिल हैं, को संबोधित करने के लिए खंडित पूर्व दिशानिर्देशों को प्रतिस्थापित करते हैं, ताकि अद्यतित विनियामकीय ढांचे के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। हितधारकों के इनपुट की गहन समीक्षा और आवश्यक संशोधनों के समावेश के बाद, अंतिम अनुदेश अब इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए एक एकीकृत संरचना प्रदान करते हैं, जो डिजिटल बैंकिंग पारितंत्र में प्रगति को समायोजित करते हुए मजबूत निगरानी सुनिश्चित करते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 28 नवंबर 2025 को एचडीएफसी बैंक लिमिटेड पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 6(1) के साथ पठित धारा 19(1)(ए) के उल्लंघन और 'अग्रिमों पर ब्याज दर', 'बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता पर दिशानिर्देश', और 'अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी आरबीआई निदेशों के अननुपालन के लिए ₹91.00 लाख (इक्यानबे लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाने की घोषणा की। बीआर अधिनियम की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित 47ए (1) (सी) धारा के अंतर्गत यह दंड, 31 मार्च 2024 तक पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए सांविधिक निरीक्षण (आईएसई 2024) के बाद लगाया गया है, जिसने एक ही ऋण श्रेणी के भीतर एकाधिक मानकों को अपनाने, धारा 6 के तहत गैर-अनुमेय बैंकिंग गतिविधियों में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा जुड़ाव और आउटसोर्सिंग एजेंटों को केवाईसी अनुपालन निर्धारण की आउटसोर्सिंग सहित निरंतर उल्लंघनों की पुष्टि की। सांविधिक और विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित यह कार्रवाई ग्राहक के लेन-देन की वैधता को प्रभावित नहीं करती है और रिज़र्व बैंक द्वारा भविष्य में लागू किए जाने वाले उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

II. विदेशी मुद्रा

व्यापार राहत उपाय

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 14 नवंबर 2025 को वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच निर्यात पर व्यापार व्यवधान के प्रभावों को कम करने के लिए व्यापक उपायों की घोषणा की, जिसमें शामिल हैं: (ए) वस्तुओं/सॉफ्टवेयर/सेवाओं के निर्यात और निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान की वसूली और प्रत्यावर्तन पर फेमा विनियमन, निर्यात आय के लिए वसूली/प्रत्यावर्तन अवधि को नौ से पंद्रह महीने तक बढ़ाना और अग्रिम भुगतान लदान समय को एक से तीन वर्ष तक बढ़ाना और (बी) भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2025, जो निम्नलिखित को सक्षम करते हैं: (i) 1 सितंबर 2025 और 31 दिसंबर 2025 के बीच देय सभी मियादी ऋणों के भुगतान और कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज की वसूली, जैसा भी लागू हो, पर अधिस्थगन / आस्थगन और (ii) 31 मार्च 2026 तक संवितरित लदान- पूर्व और लदान-बाद निर्यात ऋण के लिए अधिकतम ऋण अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर 450 दिन करना।। ये उपाय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों का शमन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2025 को फेमा, 1999 के तहत उल्लंघनों के शमन पर मास्टर निदेश (दिनांकित 22 अप्रैल 2025) में संशोधन किया,ताकि शमन आवेदन शुल्क और 'उल्लंघनो के शमन के लिए निर्धारित राशि' ('शमन राशि') की प्राप्ति को सुचारू बनाया जा सके। यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफ़टी) और तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से शमन आवेदन शुल्क और शमन राशि प्राप्त करने वाले खाते के विवरणों में परिवर्तन किया जाए। तदनुसार, संशोधित खाता विवरण शामिल करने के लिए उपरोक्त मास्टर निदेश के अनुबंध I में संशोधन किए गए हैं। सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को तुरंत अपने ग्राहकों तक इन अद्यतन दिशानिर्देशों को पहुँचाने का निदेश जारी किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 दिसंबर 2025 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों की वापसी की स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 29 नवंबर 2025 को कारोबार समाप्ति पर संचलन में ₹2000 नोटों का कुल मूल्य ₹5,743 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 को संचलन में मौजूद ₹2000 बैंकनोटों का 98.39 प्रतिशत अब तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुका है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. प्रकाशन

भारत: वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम, 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 7 नवंबर 2025 को आईएमएफ़ और विश्व बैंक द्वारा आयोजित अनिवार्य वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफ़एसएपी) 2024 के पूर्ण होने की घोषणा की, जिसके अंतर्गत आईएमएफ़ ने 28 फरवरी 2025 को अपनी वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन (एफ़एसएसए) रिपोर्ट जारी की तथा विश्व बैंक ने 30 अक्तूबर 2025 को वित्तीय क्षेत्र आकलन (एफ़एसए) रिपोर्ट प्रकाशित की। यह आकलन पुष्टि करता है कि 2017 के एफ़एसएपी के बाद से भारत की वित्तीय प्रणाली अधिक सुदृढ़, विविधीकृत और समावेशी हो गई है, जिसका श्रेय विभिन्न संकटों और महामारी की चुनौतियों से उबरने के लिए किए गए सुधारों को दिया गया है, जबकि यह भी उल्लेख किया गया है कि 2047 तक भारत की 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निजी पूंजी जुटाने को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय क्षेत्र में और सुधारों की आवश्यकता है।

विश्व बैंक ने, सहकारी बैंकों पर विस्तृत निगरानी , मान-आधारित एनबीएफसी ढांचे तथा प्रतिभूति बाजार सुधार यथा बेहतर संपार्श्विक प्रबंधन और धारणीय निवेश ढांचा सहित बैंक और एनबीएफसी संबंधी विनियमन में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की। इसके अतिरिक्त, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भारत की विश्व-स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की सराहना की गई, तथापि महिलाओं और एमएसएमई के लिए खाता उपयोग बढ़ाने हेतु लक्षित उपायों के साथ-साथ म्यूचुअल फंड में आचरण जोखिम निगरानी को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय जलवायु वित्त वर्गीकरण तंत्र के विकास की सिफारिश की गई है।

अपने मूल्यांकन में, एफएसए ने विविधीकृत निवेशक सहभागिता से समर्थित पूंजी बाजार में मजबूत संवृद्धि (जीडीपी के 144% से बढ़कर 175% तक) को नोट किया, तथा अतिरिक्त पूंजी जुटाने के लिए ऋण सुदृढ़ीकरण तंत्र और प्रतिभूतिकरण प्लेटफॉर्म की सिफारिश की। रिपोर्ट ने बीमा क्षेत्र के वैश्विक मानकों के अनुपालन की पुष्टि की और आईबीसी के कार्यान्वयन तथा टीआरईडीएस के माध्यम से एमएसएमई के लिए ऋण वृद्धि की प्रशंसा की, लेकिन एमएसएमई ऋण डेटा के व्यापक प्रकाशन और क्षेत्रीय वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित डेटा ऑब्जर्वेटरी की स्थापना का आग्रह किया।

भारत एफएसएपी के निष्कर्षों का स्वागत करता है, जो घरेलू विकास योजनाओं के अनुरूप हैं तथा घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। उभरती वैश्विक चुनौतियों के बीच वित्तीय क्षेत्र की आघात सहनीयता को बनाए रखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विनियामकों के साथ सहयोग जारी रखेगा ताकि अनुशंसाओं को लागू किया जा सके — विशेष रूप से जलवायु जोखिम प्रबंधन, पूंजी बाजार की गहनता बढ़ाने और एमएसएमई ऋण बुनियादी ढांचे में। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन – नवंबर 2025

रिज़र्व बैंक ने 24 नवंबर 2025 को अपने मासिक बुलेटिन का नवंबर 2025 अंक जारी किया। इस बुलेटिन में छह भाषण, पाँच आलेख और वर्तमान सांख्यिकी को शामिल किया गया हैं।

छह भाषण हैं:

I. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमन: कुछ प्रतिबिंब, श्री संजय मल्होत्रा द्वारा

II. विनियमन के उभरते पहलू, श्री संजय मल्होत्रा द्वारा

III. परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियाँ और बैंकिंग: प्रमुख मुद्दे, श्री टी रबी शंकर द्वारा

IV. जहाँ अभिशासन की प्रतिबद्धता मजबूत होती है, वहाँ विनियामक अंतराल और अतिव्यापियाँ कम हो जाती हैं, श्री स्वामीनाथन जे द्वारा

V. आर्थिक आघात सहनीयता के लिए नीतिगत ढांचे: उभरते बाजारों और भारत का मामला, डॉ. पूनम गुप्ता द्वारा

VI. केंद्रीय बैंक लेखांकन पद्धतियाँ: भारतीय रिज़र्व बैंक और वैश्विक दृष्टिकोण, श्री शिरिश चन्द्र मुर्मू द्वारा

पांच आलेख हैं:

I. अर्थव्यवस्था की स्थिति

वैश्विक अनिश्चितता अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है, हालांकि अक्टूबर में एक वर्ष से अधिक समय तक लगातार बढ़ोतरी के बाद थोड़ी कमी आई। वैश्विक इक्विटी बाजारों में बढ़ते उत्साह के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं, जिससे इसकी स्थिरता और वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में प्रश्न उठ रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगातार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद गति में और वृद्धि के संकेत दिखाए। अक्टूबर के लिए उपलब्ध उच्च-आवृत्ति संकेतकों से पता चलता है कि त्योहारी मांग और जीएसटी सुधारों के लगातार सकारात्मक प्रभाव के समर्थन से विनिर्माण और सेवा गतिविधियों में मजबूत विस्तार हुआ। मुद्रास्फीति ऐतिहासिक निम्न स्तर पर आ गई और लक्ष्य दर से काफी नीचे बनी रही। वित्तीय स्थितियां अनुकूल बनी रहीं, और वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का प्रवाह एक वर्ष पहले की तुलना में काफी बढ़ गया।

II. 'क्षितिज को मिलाना': अल्पकालिक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के लिए एक असामान्य दृष्टिकोण

यह आलेख अल्पकालिक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान के लिए एक ढांचा प्रस्तुत करता है जो तीन विविध प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है: (i) नाउकास्ट (ii) मशीन लर्निंग और सांख्यिकीय विधियां और (iii) गतिशील और यादृच्छिक समीकरणों की प्रणाली, जो नजदीकी क्षितिज के अंत में नाउकास्ट को एक मानक पूर्वानुमान से अभिसरित करने की अनुमति देती है, जिसमें सततता, स्पिलओवर और समष्टि-सहबद्धता के कारण उन्नत या विलंब होता है। यह ढांचा सीपीआई- संयुक्त के मौसमी रूप से समायोजित 33 उप-समूहों/ घटकों के अलग-अलग मासिक आंकड़ों पर तैयार किया गया है। यह मुद्रास्फीति के बिंदु के साथ-साथ घनत्व पूर्वानुमान उत्पन्न करने के लिए पूर्ण सूचना मैट्रिक्स, मशीन लर्निंग और सांख्यिकीय मॉडल, बेइशियन अनुमान, कालमान फिल्टरिंग और गतिकी अनुकूलन जैसी तकनीकों को नियोजित करता है।

III. बहुचर मूल प्रवृत्ति मुद्रास्फीति: मूल मुद्रास्फीति का एक नया माप

यह अध्ययन गतिशील क्षेत्र-वार भार के साथ अलग-अलग सीपीआई शृंखला का उपयोग करते हुए बहुचर मूल प्रवृत्ति (एमसीटी) मुद्रास्फीति का अनुमान लगाती है। क्षेत्र की अस्थिरता, निरंतरता और सह-गति के आधार पर समय-मूल्यन भार निर्धारित करके, हमारा मॉडल यह पता लगाता है कि क्या अंतर्निहित मुद्रास्फीति व्यापक प्रवृत्ति या क्षेत्र-विशिष्ट शक्तियों द्वारा संचालित है। इसके परिणाम क्षेत्र-विशिष्ट प्रवृत्तियों का स्थिर योगदान दर्शाते हैं जबकि सामान्य प्रवृत्ति में परिवर्तन - जिसमें अस्थिर घटक (खाद्य और ईंधन) और अधिक स्थिर घटक

(मूल) दोनों शामिल हैं - मुख्य रूप से एमसीटी की गतिकी का निर्धारण करते हैं। हमें पता चला है कि एमसीटी मुद्रास्फीति मूल और हेडलाइन मुद्रास्फीति दोनों को दीर्घकालिक होरीज़न से अधिक प्रभावी ढंग से ट्रैक करती है, जो अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबावों का अधिक विश्वसनीय आकलन प्रदान करती है।

IV. भारत में जीडीपी का नाउकास्टिंग: एक नया दृष्टिकोण

नाउकास्टिंग नीति निर्माताओं के लिए विशेष रूप से समष्टि आर्थिक चर जैसे जीडीपी के लिए एक उपयोगी साधन बन गया है जिसके लिए डेटा पर्याप्त अंतराल पर जारी किया जाता है। भारत की सकल घरेलू उत्पाद की नाउकास्टिंग के लिए दो-चरण दृष्टिकोण का प्रस्ताव बाईस उच्च आवृत्ति संकेतकों का उपयोग करते हुए किया गया है जिसमें पहला कारक सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में प्रत्येक संकेतक की शक्ति के आधार पर प्राप्त किया जाता है और दूसरा कारक उन संकेतकों की अवशिष्ट जानकारी से निर्मित किया जाता है जिन्हें अन्यथा समान्यतः अस्वीकार कर दिया जाता है। अनुभवजन्य अभ्यास से पता चलता है कि अवशिष्टों से द्वितीयक जानकारी को शामिल करने से जीडीपी के नाउकास्टिंग की सटीकता में काफी सुधार होता है।

V. भारत के प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमीपन

यह आलेख भारत के लिए प्रमुख आर्थिक संकेतकों में मौसमी पैटर्न का अनावरण करता है, जिसमें छह प्रमुख क्षेत्रों-मुद्रा और बैंकिंग, भुगतान प्रणालियों, कीमतों, औद्योगिक उत्पादन, वस्तु व्यापार और सेवाओं के 78 मासिक संकेतकों के साथ-साथ राष्ट्रीय लेखा के 25 तिमाही संकेतक, भुगतान संतुलन, भारतीय विनिर्माण कंपनियों का क्षमता उपयोग और पूर्वानुमान उद्यम सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया है । विभिन्न आर्थिक संकेतकों में व्यापक मौसमी उतार-चढ़ाव देखा गया जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी शेष, मांग जमा, सब्जी की कीमतें, सभी क्षेत्रों में उत्पादन और वस्तु निर्यात शामिल हैं। तिमाही आंकड़ों से पता चलता है कि वास्तविक जीडीपी में मौसमी वृद्धि हुई है, जो सरकारी व्यय से प्रभावित है। आपूर्ति पक्ष घटकों के बीच, जीवीए कृषि ने उच्चतम मौसमी भिन्नताओं को दर्शाया। अंत में, क्षमता उपयोग और सेवा निर्यात में भी उच्च मौसमी परिवर्तन देखा गया।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के निर्यात पर सर्वेक्षण: 2024-25

रिज़र्व बैंक ने 4 नवंबर 2025 को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी-समर्थित सेवाओं (आईटीईएस) निर्यात पर 2024-25 वार्षिक सर्वेक्षण से आंकड़े जारी किए, जो 2,206 कंपनियों (कुल सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात में लगभग 90 प्रतिशत योगदान) की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं, जिसने सामूहिक रूप से निर्यात में 204.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक 7.3% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की। सर्वेक्षण में, 6,766 कंपनियों को शामिल किया गया है, जोकि भारत के सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र की सुदृढ़ता को रेखांकित करता है, क्योंकि भाग लेने वाली कंपनियाँ उद्योग की अधिकांश निर्यात मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं और गतिविधि के प्रकार, सुपुर्दगी माध्यम और भौगोलिक वितरण के बारे में सूक्ष्म जानकारी प्रदान करते हैं।

प्रमुख विशेषताओं में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात के दो तिहाई से अधिक का निर्माण करने वाली कंप्यूटर सेवाएं शामिल हैं, जबकि कारोबारी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग (बीपीओ) प्रमुख आईटीईएस घटक रहा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों ने निर्यात में 11.6% वृद्धि के साथ संवृद्धि दर्ज की, जोकि पब्लिक लिमिटेड फर्मों से 1.3% अधिक है। भौगोलिक रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात 4.9% बढ़ा, पर इसका हिस्सा घटकर 52.9% (2023-24 में 54.1% से) हो गया, जबकि 14.3% की वृद्धि के कारण यूरोप का हिस्सा बढ़कर 32.8% हो गया। अमरीकी डॉलर प्राथमिक बीजक मुद्रा (72.0%) बना रहा, इसके बाद अप्रत्यक्ष सुपुर्दगी, जोकि निर्यात का 90.7% है, के कारण यूरो (9.6%) रहा।। विदेशी सहयोगियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं सहित, कुल सॉफ्टवेयर निर्यात 218.6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो भारत के डिजिटल और आईटी-सक्षम समाधानों की निरंतर वैश्विक मांग को दर्शाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. जारी आंकड़े और सर्वेक्षण

नवंबर 2025 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े और सर्वेक्षण निम्नानुसार हैं:

S/N	Title
1	सितंबर 2025 के लिए ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी
2	21 नवंबर 2025 को समाप्त सप्ताह के लिए आरक्षित मुद्रा और 14 नवंबर 2025 को समाप्त पखवाड़े के लिए मुद्रा आपूर्ति
3	वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्य-निष्पादन
4	2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक (एचपीआई)
5	दिनांक 14 नवंबर 2025, शुक्रवार तक भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
6	बैंक ऋण का क्षेत्रवार अभिनियोजन – अक्तूबर 2025
7	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण पर तिमाही मूलभूत सांख्यिकीय विवरणी (बीएसआर)-1– सितंबर 2025
8	तिमाही आधारभूत सांख्यिकी विवरणियाँ (बीएसआर)-2: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पास जमाराशि – सितंबर 2025
9	अक्तूबर 2025 माह के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार संबंधी मासिक आंकड़े
10	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण और जमा दरें – नवंबर 2025

श्री ब्रिज राज द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।